



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032023-244206
CG-DL-E-09032023-244206

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2023/फाल्गुन 18, 1944

No. 60]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2023/PHALGUNA 18, 1944

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

सं. एलएफईएस-सीओ 20011(16)/1/2023-समिति अनुभाग (समन्वय)-आरएसएस.—राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 268 के उप-नियम (2) के परंतुक के अंतर्गत, सभापति, राज्य सभा और अध्यक्ष, लोक सभा ने एक दूसरे के परामर्श से राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों की तीसरी अनुसूची में 2 मार्च, 2023 से निम्नलिखित संशोधन किए हैं:-

तीसरी अनुसूची

(नियम 268 देखें)

क्रम सं.	समिति का नाम (मौजूदा)	समिति का नाम (यथा संशोधित)	मंत्रालय/ विभाग
भाग-II			
15.	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

पी. सी. मोदी, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2023

No. LAFEAS-CO20011(16)/1/2023-Comm Sec(Co-Ord)-RSS.—Under the proviso to sub-rule (2) of Rule 268 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, the Chairman, Rajya Sabha and the Speaker, Lok Sabha in consultation with each other, have made the following amendments in the Third Schedule to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States *w.e.f.* March 2, 2023 :-

THIRD SCHEDULE**(See Rule 268)**

Sl. No.	Name of the Committee (Existing)	Name of the Committee (As revised)	Ministries/ Departments
Part-II			
15.	Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution	Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution	Consumer Affairs, Food and Public Distribution

P. C. MODY, Secy. General